आलेख

हिन्दी भाषा प्रश्न एवं परिप्रेक्ष्य

कृष्ण कुमार मिश्र

भाषा के बारे में कहा जाता है कि वह भावों और विचारों की वाहिनी है। यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात संप्रेषित की जाती है। मौखिक भाषा ध्वनियों का समुच्चय है जिसके जरिये किसी समाज या राष्ट्र के लोग अपने मनोगत भावों तथा विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। ये हैं - असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, उर्दू, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली तथा नेपाली। ये सभी भारतीय भाषायें हैं। 14 सितम्बर 1949 को भारत की संविधान सभा ने खड़ी बोली में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया अर्थात वह भारत संघ के कामकाज की भाषा बनी। उस समय यह तय किया गया था कि हिन्दी का प्रचार -प्रसार, सामासिकता तथा इसकी सर्वस्वीकार्यता के लिए प्रयास किए जाएंगे। सहूलियत के लिए अगले 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी को कायम रखने का प्रावधान किया गया। लेकिन उसके बाद समय-समय पर राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार अंग्रेजी को बार -बार विस्तार मिलता गया तथा हिन्दी की अनिवार्यता तथा उसके सशक्तिकरण पर उतना जोर नहीं दिया गया। इससे हिन्दी की अनदेखी होती चली गयी तथा उसे वह स्थान आज तक नहीं मिल सका जिसकी वह वास्तव में अधिकारिणी है।

जनभाषा हिन्दी

हिन्दी वास्तव में भारत की जनभाषा है। वह एक मजबूत संपर्क भाषा है। वह जन-जन की भाषा है जो प्रायः उत्तर-मध्य भारत के सभी राज्यों में बखूबी पढ़ी, लिखी, बोली तथा खूब समझी जाती है। लेकिन जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी तो कुछ लोगों ने हिन्दी का इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे दूसरी भाषाओं का अहित होगा। जब कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की परिकल्पना इस रूप में ही की गई थी कि अपने-अपने राज्यों में प्रांतीय भाषाएँ ही अपने पूरे अधिकार के साथ अपनी-अपनी भूमिकाएं निभाएँगी। जो भूमिका हिंदी की हिंदीभाषी राज्यों में होगी , वही भूमिका हिंदीतर प्रांतों में उनकी अपनी -अपनी भाषाओं की होगी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अपने ही इतर भाषाओं के साथ उनका तालमेल बनाने में सहायक भर होगी। जहाँ उनका अधिकार होगा , वहाँ तो हिंदी का कोई दखल होगा ही नहीं।

लेकिन निहित स्वार्थी तत्वों के दुराग्रह के चलते हिन्दी पर राजनीति की गयी तथा दुष्प्रचार किया गया। ऐसे ही कुछ लोगों ने अंग्रेजी को सीने से चिपकाकर रखा। उन्हें अंग्रेजी पर आपत्ति नहीं थी , लेकिन हिन्दी से धुर विरोध था। आज वही अंग्रेजी भाषा, हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है। हमारे देश में हिन्दी को लेकर यह अजीब विडम्बना तथा विसंगतिपूर्ण स्थिति है।

राष्ट्रभाषा के निहितार्थ

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। पहले से लेकर आज तक देश के सभी राष्ट्रनायकों ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की वकालत की है। लेकिन अफसोस है कि वह पद हिंदी को नहीं मिल सका है। हिन्दीभाषी प्रान्तों में भाषायी चेतना का अभाव है।

वे उसे सिर्फ इम्तहान के समय पढ़कर पास हो जाना चाहते हैं। उन्हें हिन्दी के लेखकों, कवियों, उनकी कृतियों तथा साहित्यिक अवदानों से बहुत ज्यादा लेनादेना नहीं है। इन सबके गहरे सामाजिक, समाज वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारण हैं।

महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी को एक सम्मेलन के लिए भेजे गए पत्र में कहा था कि 'भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए, वह हम लोगों में नहीं है। हमें अब अपनी मातृभाषा की और उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। ' महात्मा गांधी भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के प्रबल समर्थक थे और इस रूप में अंग्रेजी से उनका जबर्दश्त विरोध भी था। वे कभी नहीं चाहते थे कि देश को हम अंग्रेजों से तो आजाद करा लें, लेकिन अंग्रेजी के आगे नतमस्तक होते रहें। और इसका कारण एकदम सीधा था। अंग्रेजी प्रभु वर्ग की भाषा थी और आज भी वह अपने इस अभिजात्य चरित्र को बनाए हुए है। महात्मा गाँधी जी ने सन् 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर पुरुषोत्तम दास टंडन को एक पत्र में लिखा था, 'मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न तो स्वराज का प्रश्न है।' इसके बाद गाँधी जी ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा हिन्दीतर भाषी प्रांतों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार प्रसार कराया।

अफसोस की बात यह है कि आज देश में अंग्रेजी भाषा का साम्राज्यवाद फिरंगियों के चले जाने पर भी कायम है। हम देख रहे हैं कि धीरे -धीरे हिन्दी माध्यम के विद्यालय पिछड़ते जा रहे हैं तथा उनकी अनदेखी हो रही है। उसके विपरीत शहरों में गली , मुहल्लों, छोटे नगरों, कस्बों तथा गांवों तक में जगह-जगह अंग्रेजी माध्यम के तथाकथित कॉन्वेन्ट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। यह दीगर बात है कि ज्यादातर इन कान्वेन्ट स्कूलों में खुद अंग्रेजी भाषा के साथ -साथ अन्य विषयों के पठन-पाठन का स्तर दयनीय है। आज के भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का मोह किस कदर गहरा होता जा रहा है, यह एक नितांत विचारणीय विषय है। जब शिक्षा का माध्यम ही हिन्दी नहीं रहेगी तो उसका विकास तथा प्रसार कैसे संभव हो पाएगा ? एक भ्रांति जो प्रायः अंग्रेजीदां लोगों द्वारा जोर शोर से फैलायी जाती रही है वह यह है कि हिन्दी अभी इतनी सुसंपन्न नहीं है कि उसमें उच्च शिक्षा दी जा सके। जब कि सच्चाई यह है कि आज हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य की कमी नहीं है। तकनीकी शब्दों के लिए शब्दावली आयोग द्वारा तैयार बृहत पारिभाषिक शब्द-संग्रह स्नातकोत्तर स्तर तक की विज्ञान शिक्षा के लिए पर्याप्त है। हिन्दी में ढेरों शब्दकोश, समान्तर कोश, पारिभाषिक कोश तैयार हो चुके हैं। हिन्दी की शब्द-संपदा 5 लाख के आंकड़े को कभी की पार कर चुकी है। जरूरत सिर्फ इच्छा शक्ति की है। यदि दृढ़ संकल्प एवं निष्ठा हो तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समूची शिक्षा हिन्दी माध्यम से पूरी तरह संभव है।

हमारे देश का शिक्षित वर्ग अंग्रेजी के मोहक मकड़जाल में फँस गया है। उसे अपनी ही भाषा से विरक्ति-सी हो गयी है। उसे यकीन हो चला है कि अंग्रेजी सत्ता की भाषा है जिसे ' लैंग्वेज आफ पॉवर' कहा जाता है। इसलिए सत्ता तथा नौकरशाही के उच्च पायदान पर पहुंचने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। कुछ लोगों को यह भाषा उनके सदियों के पिछड़ेपन , भेदभाव तथा वंचना से मुक्ति के मार्ग के रूप में दिखायी देती है। वे अंग्रेजी को एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं जिसके जरिये वे सामाजिक संरचना में ऊंचे पायदान पर पहुंच सकते हैं। जिस दिन देश

आजाद हुआ उसी दिन गांधी जी ने कहा था कि - अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम (अंग्रेजी) से दी जाने वाली शिक्षा बंद करा दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूँ। अंग्रेजी को ज्ञान की भाषा समझना राष्ट्रीय विपत्ति है तथा इतिहास में अंग्रेजी को विदेशी शासन की बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई माना जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो भारतीय मानस को विदेशी वशीकरण के संजाल से बाहर निकलना चाहिए।

बाज़ार की हिन्दी, बनाम हिन्दी का बाज़ार

कहा जाता है कि बाजारवाद के चलते इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट माध्यमों में हिन्दी की उपस्थिति बढ़ी है। इसमें काफी सच्चाई भी है। पत्रकारिता, संचार माध्यमों, व्यावसायिक उद्यमों, विज्ञापनों, चैनलों, वेबसाइटों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हिन्दी जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन सारे माध्यमों को हिन्दी की जरूरत भी है क्योंकि उन्हें हिन्दी के जरिये खरीददारों और उपभोक्ताओं के पास पहुंचने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक आज भी इस देश में बमुश्किल 7% लोग अंग्रेजी का जीवन जीते हैं। इसलिए बाजार से जुड़े ये सारे माध्यम हिन्दी का उपयोग कर रहे हैं। हिन्दी बाजार की भाषा बने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। साथ ही जरूरी है कि हिन्दी रोजगार की भाषा भी बने। लेकिन चिंता इस बात की है कि यह दिनोंदिन बाजारू बनती जा रही है। इसकी स्वाभाविक विशिष्टता लुप्त हो रही है। अंग्रेजी के साथ घालमेल करके इसे दिनोंदिन विरूपित किया जा रहा है। समाचार माध्यमों का जबर्दस्त प्रसार तथा विस्तार हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर भाषा का कोई स्तर नजर नहीं आता। लेखन , उच्चारण से लेकर रिपोर्टिंग, सब दोषपूर्ण हैं। व्याकरण, वर्तनी संबन्धी भाषागत दोष बहुत आम हो चले हैं। नयी पीढ़ी शुद्ध , सटीक तथा प्रांजल भाषा के स्वाद से करीब करीब वंचित है। कई चैनलों पर स्थिति अत्यन्त दयनीय है। हिन्दी फिल्मों के नाम अब अंग्रेजी में रखे जा रहे हैं। हिन्दी फिल्मों के सितारे फिल्म समारोहों में अकसर अंग्रेजी में बोलते नजर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि बॉलीवुड के अधिकांश कलाकार प्रायः रोमन में लिखे संवाद पढ़कर बोलते हैं। विज्ञापन की दुनिया में हिन्दी बड़े पैमाने पर प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में यत्र, तत्र, सर्वत्र देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों , विशेष करके टी.वी. पर वस्तुओं तथा उत्पादों के हिन्दी विज्ञापन के वाक्य रोमन लिपि में लिखे जा रहे हैं। एक जमाने में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हिन्दी की लिपि देवनागरी की जगह रोमन हो। लेकिन उस समय भाषाभक्त भारतीयों के प्रखर विरोध के चलते वे अपनी कुटिल चाल में सफल न हो सके थे। लेकिन जो चीज अंग्रेज नहीं कर सके , वह आजादी के बाद हमारे बीच के ही अंग्रेजीपरस्त इंडियन बखूबी कर रहे हैं। इन विज्ञापनों के माध्यम से आज की पीढ़ी जो हिन्दी सीख रही है वह न तो ठीक से हिन्दी है, और न ही अंग्रेजी। समाजविज्ञानी कहते हैं कि वास्तव में भारतीय समाज भाषागत रूप से विभाजित हो चला है। एक छोटा लेकिन मजबूत वर्ग है जो 'इंडियन' है तथा दूसरा विशाल लेकिन कमजोर वर्ग है 'हिन्दीयन'।

हिन्दी भाषा, भविष्य दृष्टि

आधुनिक हिन्दी का भाषायी विकास पिछले दो सौ वर्षों के दौरान हुआ है। यह खास करके स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। हिन्दी से लोगों को बड़ी -बड़ी आशाएं तथा अपेक्षाएं थीं। उनमें से सबसे बड़ी आकांक्षा एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास की आकांक्षा थी जिसकी भाषा हिन्दी हो। इसका आशय यह है कि हिन्दी को एक बड़े लोकतांत्रिक समाज की जिंदगी, सोचविचार और रचनाशीलता की भाषा के रूप में विकसित होना था। इसके लिए यह भी जरूरी था कि व्यापक हिन्दी क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की जो मातृभाषाएं हैं , उनसे हिन्दी का निकट का संबंध हो। तभी हिन्दी भाषा पढ़े-लिखे लोगों के साथ-साथ किसान ,मजदूर, खेतिहरों तथा श्रमिकों की जिंदगी की भाषा बन सकती है। यह एक विडंबना है कि जो खड़ी बोली हिन्दी , आजादी के बाद साहित्य और सरकार के माध्यम से विकसित हुई, वह क्रमशः हिन्दी क्षेत्र की लोकभाषाओं से दूर होती गयी। इसलिए आज भी भारत के दूर दराज के गांवों तथा कस्बों के लोग शासन , प्रशासन की हिन्दी को अपने करीब नहीं देख पाते। वे हिन्दी से वैसी आत्मीयता अनुभव नहीं करते जैसी आत्मीयता उन्हें अपनी मातृभाषाओं या बोलियों से है।

पिछले तीन दशकों से आर्थिक उदारीकरण तथा बाजारवाद के चलते भारतीय भाषाएं कमजोर होती गयी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वित्त, वाणिज्य, व्यापार, विनिमय, सब में अंग्रेजी को और मजबूती से स्थापित करने में भूमिका निभायी है। अंग्रेजी का प्रभुत्व तथा प्रभाव बढ़ा है और हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं की स्थिति कमजोर हुई है। कुछ साल पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि देश भर में बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। दुनिया के सभी शिक्षाशास्त्रियों ने बुनियादी शिक्षा के लिए मातृभाषा की वकालत की है। लेकिन हमारे देश में आंग्ल भाषा के मोह के चलते इस सर्वमान्य तथ्य को भी नकारने की बात हो रही है। ऐसे में देश के बच्चे अपनी भाषा कब पढ़ेंगे। आज की उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होती जा रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी में ही हैं। विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, पराचिकित्सा, प्रबन्धन, वित्त, वाणिज्य, सभी के पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हैं। भाषाओं को छोड़ दें तो करीब करीब सभी विषयों के शोध एवं विकास का काम अंग्रेजी में चल रहा है। देश को आजाद हुए 73 साल बीत गये लेकिन हम अभी तक अपने लिए उच्च शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा को नहीं बना सके। यह औपनिवेशिक बोझ को लगातार सिर पर लादे ढोते जाने जैसा है।

निष्कर्ष

हिन्दी के विमर्शों में ऐसा अकसर कहा जाने लगा है कि हिन्दी महज साहित्यिक भाषा बनकर रह गई है। हिन्दी में मौलिक तथा नवीन चिंतन, ज्ञान-विज्ञान से संबंधित नवाचार का काम बहुत कम हो रहा है। समाज-विज्ञान, मानविकी से लेकर प्रकृति विज्ञान तक में किताबों और लेखों का अनुवाद ही दृष्टिगोचर होता है। हिन्दी में आज विज्ञान की पत्रिकाएं बहुत कम हैं। समाज -विज्ञान की पत्रिकाएं भी कम ही हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन पा रही है। हमारे पड़ोसी दो देशों चीन और जापान से यह सबक सीखा जा सकता है कि अपनी भाषा में भी विज्ञान तथा तकनीकी के सभी काम बखूबी किए जा सकते हैं। इसलिए हमारे देश में जब तक ज्ञान-विज्ञान का काम अंग्रेजी में होता रहेगा, हिन्दी तब तक विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की भाषा नहीं बन सकेगी। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी उसे सरकारी तंत्र और हिन्दीभाषी समाज की जिम्मेवारी के एहसास के दिन के रूप में देखे जाने के लिए। लेकिन अफसोस! वह वार्षिक रस्म अदायगी का कार्यक्रम होकर रह गया है। यह एक यथार्थ है कि आज अंग्रेजी के प्रभुत्व के सामने सभी भारतीय भाषाएं अपने को संघर्ष करती पा रही हैं। इसमें जो कमजोर साबित होंगी उनका दम जल्दी घुट जाएगा तथा वे भाषायी परिदृश्य में हाशिये पर चली जाएंगी। जो दमखम वाली होंगी वे ज्यादा देर तक मुकाबला कर सकेंगी , टिकी रहेंगी। इक्कीसवीं सदी का प्रथमार्द्ध समस्त भारतीय भाषाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। हिन्दी के पक्ष में सिर्फ एक बात मजबूती से जाती है वह है देश में हिन्दी जानने , समझने तथा बोलने वालों की विशाल आबादी तथा हिन्दी प्रदेशों का विराट भूभाग। इसके अलावा देश से बाहर अन्य देशों में कार्यरत हिन्दी के प्रति संकल्पित लाखों-लाख प्रवासी भारतीय समुदाय। इस कालखंड में आज अपनी भाषा के संवर्द्धन, संरक्षण तथा विकास के लिए किया गया हमारा कार्य आने वाले समय में हिन्दी की दशा तथा दिशा तय करने में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

!! जय हिन्द, जय हिन्दी !! ●

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) मुंबई-400088, सम्पर्क–91-9867210755